न्या॰: अदालत अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।
P-A. Case No. 44/20-21
डेजी देवी

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	आदेश दिनांक 30-10-21 की प्रतिलिपि	3

30.10.21

आदेश

प्रस्तुत पी0ए0 वाद संख्या–44/2020–21 आवेदिका–डेजी देवी, पति–स्व0 जितेन्द्र प्रसाद राय, साकिन–उपरबंधा, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–शेखपुरा, थाना नं0–466 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पालोजोरी से ज्ञापांक–303/डी0बी0 दिनांक–21.10.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई, जो उनके पत्रांक–607/रा0 दिनांक–21.12.2020 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेखबद्ध है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, पालोजोरी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–शेखपुरा, थाना नं0–466 एक प्रधानी मौजा है। प्रधानी/मूल रैयती पंजी–II के अनुसार जितेन्द्र प्रसाद राय उक्त मौजा के 16 (सोलह) आना रकम के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मौजा में जमाबंदी रैयतों की संख्या–18 (अठारह) है एवं वार्षिक लगान–62/– (बासठ) रूपया अलावे सेस है। आवेदिका साक्षर है एवं उक्त पद के लिये योग्य है। फलतः अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा सोलह आना रैयत की अनापत्ति की स्थिति में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् आवेदिका को मौजा–शेखपुरा, थाना नं0–466 का प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किये है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सूची अनुसार 02 पुत्री एवं 01 पुत्र जो नबालिक है।

अतः अंचल अधिकारी, पालोजोरी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं मौजा के किसी रैयत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदिका–डेजी देवी, पति–स्व0 जितेन्द्र प्रसाद राय, साकिन–उपरबंधा, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर मौजा–शेखपुरा, थाना नं0–466 का प्रधान नियुक्त किया जाता है।

तद्नुसार आवेदिका कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालोजोरी को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित

(ह॰) 30.10.21
अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

(ह॰) 30.10.21
अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

ज्ञापांक —— 18 डेजी दिनांक
प्रतिलिपि अंचल अधिकारी पालोजोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
मधुपुर

Digitally signed by DINESH KUMAR YADAV
Date: 2022.10.14 15:14:46 +05:30
Location: 192.168.1.208